

III

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गौंधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश

संज्ञिका सं० - खा०/रिवेट/८८/१००/२०१५-१६/२०१६-१७

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में विभागीय ज्ञापांक-१०८८ दिनांक-१४.०३.२०१८ द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर १०% छूट दिया जाना है।

०१. वर्ष २०१६-१७ का कुल ११ खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर ₹० २८,३६,०५५.०० (अठ्ठाईस लाख छत्तीस हजार पचपन रुपये) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

०२. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

०३. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष २०१६-१७ के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

०४. खादी संस्थाओं का रिवेट की राशि चार्टर्ड एकाउटेन्ट से सत्यापित कराकर दिया गया था, जिसका खादी बोर्ड के P.M.A Grant Thornton India LLP द्वारा जाँच किया है एवं भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

०५. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक ५८/१८९
प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक २५/०६/१८

ज्ञापांक ५८/१८९
प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक २५/०६/१८

०२. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार)

ज्ञापांक ५८/१८९
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक २५/०६/१८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक २५/०६/१८

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4

वर्ष 2016-17 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का ऑकड़ा ₹० लाख में	कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतान राशि
1	2	3	4
1	रेशम खादी सेवा उद्योग, जोगसर, भागलपुर-812001	36.85	368500.00
2	रेशम खादी विकास सहयोग समिति लि०, खरमनचक, डी०एन०सिंह रोड, भागलपुर	14.99	149900.00
3	सर्वोदय आश्रम, ग्राम-बलवापुर, पो०-अस्थावॉ, जिला-नालन्दा	17.19	171888.00
4	ग्रामीण जन विकास बुनकर संस्थान, ग्राम-सिमड़बार, पो०-भराम, भाया झंझारपुर बाजार, जिला-मधुबनी	10.42	104195.00
5	मोकामा ग्राम स्वराज्य औटा, ग्राम+पो०- औटा, जिला-पटना	1.72	17200.00
6	मॉ जानकी खादी ग्रामोद्योग आश्रम, आगानगर, पो०-पुरुषोत्तपुर, जिला-मुजफ्फरपुर	3.78	37800.00
7	कम्बल बुनकर संस्थान, हरिहरगंज, पो०- नासरीगंज, रोहतास-821310	3.05	30500.00
8	धुपा महिला खादी ग्रामोद्योग संस्थान, सिकता पो०-सिकता बाजार, पश्चिम चम्पारण	11.55	115500.00
9	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-जमीन दरियापुर, पो०-दरियापुर, जिला-भागलपुर, बिहार	99.23	992300.00
10	रेशम खादी उद्योग संघ, उर्दू बाजार, रेकाबगंज, भागलपुर	70.80	707908.00
11	रामप्रकाश खादी एवं ग्रामोद्योग सेवा आश्रम, पो०-मेघवन, जिला-मधुबनी	14.04	140364.00
		283.62	2836055.00

रजव
28-06-18

28/6/18